इस हुक्म को तारीख में जारी हुए

प्रकरण संख्या 08/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री बलवन्तसिंह पुत्र श्री लोक राम गांव सरसाना तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)।

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ।

––प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांकः–13.03.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी को सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से सूचना नही मिलने पर अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से पत्र कमांक 297 दिनांक 27.02.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र का अवलोकन करने से उनके द्वारा पत्र कमांक 73 दिनांक 10.01.2018 से अपीलार्थी के आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) भादरा को अंतरित किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) भादरा को निर्देश दिये जाते है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र के साथ संलग्न अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2018 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाये। अपीलार्थी की वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) भादरा को पालनार्थ तथा लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ व अपीलार्थी को सूचनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ